

प्रेषक,

जिलाधिकारी

मीरजापुर।

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ०प्र०

लखनऊ।

पत्र सं० : 3026/एम०एम०सी०-30खनिज/2025-26

दिनांक : 27 / 10 / 2025

विषय:-विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि नदी तल में उपलब्ध बालू के विकल्प के रूप में ईमारती पत्थर यथा सैण्ड स्टोन के खनन क्षेत्रों में खनन संक्रिया के दौरान क्षेत्र में एकत्र रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन का उपयोग कर कृत्रिम बालू (एम-सैण्ड-Manufactured Sand) का उत्पादन किये जाने के उद्देश्य से जनपद मीरजापुर की तहसील चुनार स्थित ग्राम बाराडीह व जिगना में खनन क्षेत्रों में खनन संक्रिया के दौरान क्षेत्र में एकत्र रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन को निस्तारित किये जाने हेतु शासनादेश सं०-748/86-2022-03(सा०)/2021 दिनांक 20.06.2022 में दिये गये निर्देशानुसार ई-निविदा आमंत्रण सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि ई-निविदा आमंत्रण सूचना को व्यापक प्रचार-प्रसार वाले कम से कम 02 स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(पवन कुमार मंगवार)

जिलाधिकारी,

मीरजापुर।

पत्र संख्या व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,(उ०प्र०), खनिज भवन लखनऊ।

(अजय कुमार सिंह)

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०),

मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक-3027/खनिज/ई-निविदा/2025

दिनांक 27/10/2025

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (प्रेस नोट)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नदी तल में उपलब्ध बालू के विकल्प के रूप में ईमारती पत्थर यथा सैंड स्टोन के खनन क्षेत्रों में खनन संक्रिया के दौरान क्षेत्र में एकत्र रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन का उपयोग कर कृत्रिम बालू (एम-सैंड-Manufactured Sand) का उत्पादन किये जाने के उद्देश्य से जनपद मीरजापुर की तहसील चुनार स्थित ग्राम बाराडीह व जिगना में खनन क्षेत्रों में खनन संक्रिया के दौरान क्षेत्र में एकत्र रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन को निस्तारित किये जाने हेतु शासनादेश सं०-748/86-2022-03(सा०)/2021 दिनांक 20.06.2022 में दिये गये निर्देशानुसार राजस्व/जनहित में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	तहसील	ग्राम/गाटा	क्षेत्र का जियो-कोऑर्डिनेट	रिजेक्ट पत्थर/ ओवरबर्डन की मात्रा (घन मी० में)	आरक्षित मूल्य (घन मी X रायल्टी दर रु० 100 प्रति घन मी०)	प्रतिभूति धनराशि (कॉलम 6 का 10 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1	चुनार	बाराडीह आराजी सं० 309 हाल सं० 742	A 25° 2'36.60"N 83° 2'38.89"E B 25° 2'38.67"N 83° 2'38.92"E C 25° 2'40.01"N 83° 2'38.76"E D 25° 2'42.02"N 83° 2'39.39"E E 25° 2'41.86"N 83° 2'39.92"E F 25° 2'40.45"N 83° 2'39.56"E G 25° 2'38.48"N 83° 2'40.09"E H 25° 2'36.46"N 83° 2'40.11"E	53321.5	53,32,150	533215
2	चुनार	बाराडीह आराजी सं० 309 हाल सं० 742	A 25° 2'35.91"N 83° 2'38.78"E B 25° 2'35.58"N 83° 2'40.14"E C 25° 2'33.20"N 83° 2'39.52"E D 25° 2'33.49"N 83° 2'38.26"E	28880	28,88,000	288800
3	चुनार	बाराडीह आराजी सं० 309 हाल सं० 742	A 25° 2'29.59"N 83° 2'41.35"E B 25° 2'31.19"N 83° 2'40.95"E C 25° 2'31.00"N 83° 2'39.39"E D 25° 2'30.57"N 83° 2'38.60"E E 25° 2'29.99"N 83° 2'39.43"E	14917	14,91,700	149170

W

4	चुनार	जिगना आराजी सं० 588	A 25° 2'51.65"N 83° 3'16.29"E B 25° 2'51.98"N 83° 3'16.97"E C 25° 2'51.99"N 83° 3'18.45"E D 25° 2'51.75"N 83° 3'19.21"E E 25° 2'50.86"N 83° 3'19.10"E F 25° 2'51.31"N 83° 3'16.55"E	11742	11,74,200	117420
5	चुनार	जिगना आराजी सं० 588	A 25° 2'50.44"N 83° 3'19.76"E B 25° 2'47.31"N 83° 3'20.52"E C 25° 2'46.27"N 83° 3'18.54"E D 25° 2'49.04"N 83° 3'18.25"E	12000	12,00,000	120000

उक्त विवरण के अनुसार रिजेक्ट पत्थर/ ओवरबर्डन की मात्रा को 06 माह की अवधि में निस्तारित किये जाने हेतु ई-निविदा दिनांक 10/11/2025 से दिनांक 14/11/2025 तक समय पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती है, जिसे दिनांक 15/11/2025 को दोपहर 02:00 बजे गठित समिति के समक्ष क्वैरी कार्यालय, मीरजापुर में खोली जायेगी। विस्तृत सूचना eProcurement Portal <https://etender.up.nic.in> पर एवं खनिज कार्यालय, मीरजापुर से प्राप्त की जा सकती है।

(पवन कुमार गंगवार)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, सूचना निदेशालय उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की जनपद मीरजापुर में सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रों में से किसी दो समाचार पत्रों में उक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 2- जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

25/11/25
(अजय कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
मीरजापुर।